

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 1975/आषाढ़ 19, 1897

No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 1975/ASADHA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th July 1975

S.O. 348(E)/15/IDRA/75.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development), No. S.O. 230(E), dated the 26th May, 1975, namely:

In the said Order,—

- (a) against Serial No. 1, for the word "Commission", the word "Commissioner" shall be substituted;
- (b) against Serial No. 2, for the words and letters "Shri C. R. Guha Mazumdar, Secretary", the words and letter "Shri N. Ray, Deputy Secretary" shall be substituted.

[No. F. 3/3/74-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy,

## उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)।

## आदेश

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1975

का० प्रा० 348 (अ)/15/आई० डी० प्रार० ए०/75.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 230 (अ), तारीख 26 मई 1975 निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

- (क) क्रम सं० 1 के सामने, “आयोग” शब्द के स्थान पर, “आयुक्त” शब्द रखा जाएगा।
- (ख) क्रम सं० 2 के सामने, “श्री सी० प्रार० गुहा मजूमदार, सचिव” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, “श्री एम० राय, उपसचिव” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० का० 3/3/74-सी०यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।